

स्थगन प्रार्थनापत्र सं. RM 21/2017

दुप या कायबाड़ी पर इतिथिपत्र बब  
पुपदास बनाम राज-सरकार  
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर

सम्बर व तारीख  
कहकाम जो इस  
हुकम की तादील  
में जारी हुए

20-3-18

प्राथी के वकील उपस्थित / अप्राथी की  
ओर से सरकारी वकील उपस्थित / इस  
प्रकरण से संबंधित मूल अपील में निर्णय  
हो चुका है। अतः अब इस स्थगन प्रार्थनापत्र  
का कोई औचित्य नहीं होने से यह प्रकरण  
स्वारेज किया जाता है। यह प्रकरण मूल  
अपील सं. 39/2017 के संलग्न किया जाते

S.d.  
(नरेश बुनकर)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
जालौर (राज.)